न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

करतार सिंह पुनियॉ, आर0ए0एस0
तारीख दायरा 03.07.19

पीठासीन अधिकारी
प्रकरण सं0 42/अपील/19

उस्मान आ0 बशीर जाति मुसलमान निवासी दहीखेड़ा तहसील खानपुर
अपीलान्ट.....

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा
रेस्पोडेन्ट....

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजी निर्णय दिनांक 13.03.12 तहसीलदार खानपुर

उपस्थितः– श्री मनीष श्रृंगी वकील अपीलान्ट

दिनांकः 30.08.19

–.: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक तहसीलदार खानपुर के आदेश दिनांक 13.03.12 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खानपुर ने अपीलान्ट को ग्राम दहीखेड़ा की आराजी ख0न0 603 की 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिकमी मानते हुवे आराजी भूमि से बेदखल किये जाने एवं 100 रू0/–शास्ती एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संगहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है–अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा नही किया है और न ही भविष्य में किसी आराजी पर कब्जा करेगा। प्रार्थी को उक्त निर्णय की पालना में जेल भेज दिया जाता है तो उसके चरित्र पर इसका बुरा असर पडेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा जुर्माने की राशि भी जमा करा दी है–अपीलान्ट के विरूद्व द्वितीय अतिचार भी प्रमाणित नही है फिर भी उसे सजायाब किया गया है जो उचित नही है–अब भविष्य में अपीलान्ट राजकीय आराजी पर कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 90 दिन के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर भी गौर किया गया–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है–इसलिए अपीलान्ट हमारी राय मे कुछ राहत पाने का पात्र है–परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है शेष निर्णय यथावत रहेगा, प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मे पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल मे लावे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे, पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(करतारसिंह पुनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़